HRA En USUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—डप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] No. 38] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 13, 2005/पौष 23, 1926 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 13, 2005/PAUSA 23, 1926

पोत परिवहन, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड्क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2005

का.आ. 49(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 8, धारा 9, धारा 11, धारा 12, धारा 15, धारा 17, धारा 19, धारा 27, धारा 44, धारा 47, धारा 49, धारा 51, धारा 54, धारा 56, धारा 64, धारा 88 की उपधारा (14) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त नियमों के नियम 1 के उपनियम (2) में ''31 मई, 2005 को '' शब्द और अंकों के स्थान पर ''31 मई, 2005 को या ऐसे किसी राज्य की बाबत जो उपनियम (8) के खण्ड (1) के उपबंधों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करता है, ऐसी पूर्वतर तारीख को जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें '' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11028/3/2000-एमवीएल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण: केन्द्रीय मोटरयान (पहला संशोधन) नियम, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 221(अ), तारीख 28 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे :—

- (i) अधिसूचना सं. का.आ. 938(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2001;
- (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 499(अ) तारीख 9 मई, 2002;
- (iii) अधिसूचना सं. का.आ. 59(अ) तारीख 21 जनवरी, 2003;
- (iv) अधिसूचना सं. का.आ. 1450(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2003; और
- (v) अधिसूचना सं. का.आ. 1407(अ) तारीख 23 दिसम्बर, 2004 ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2005

S.O. 49(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 44, 47, 49, 51, 54, 56, 64, subsection (14) of Section 88 and Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the Central Motor Vehicles (1st Amendment) Rules, 2001, namely:—

In the said rules, in rule 1, in sub-rule (2), for the words, figures and letters "on 31st May, 2005", the words, figures, letters and brackets "on the 31st May, 2005 or in respect of any State which proposes to implement the provisions of clause (1) of sub-rule (8) on such earlier date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf, whichever is earlier" shall be substituted.

[F. No. RT-11028/3/2000-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Note: The Central Motor Vehicles (1st Amendment) Rules, 2001 were published in the Gazette of India, Extraordinary vide Notification number G.S.R. 221(E), dated the 28th March, 2001 and subsequently amended vide notification numbers—

- (i) S.O. 938(E), dated the 24th September, 2001;
- (ii) S.O. 499(E), dated the 9th May, 2002;
- (iii) S.O. 59(E), dated the 21st January, 2003;
- (iv) S.O. 1450(E), dated the 22nd December, 2003; and
- (v) S.O. 1407(E), dated the 23rd December, 2004.